ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और संदीप मौदगिल, जे. जे. के समक्ष

सुमित कुमार-याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अन्य
प्रतिवादी

2021 का एल. पी. ए. सं. 706

08 अगस्त, 2022

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-लेटर्स पेटेंट-खंड एक्स -हरियाणा अधीनस्थ न्यायालय स्थापना (भर्ती और सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1997-अनुच्छेद 8-सेवा की समाप्ति-परिवीक्षा-सत्र प्रभाग में चपरासी की सेवा परिवीक्षा के दौरान प्रदान की गई-चुनौती के लिए आधार नियाद-न्यायाधीश द्वारा रिपोर्ट किया गया दुर्व्यवहार-एक सरल आदेश नहीं है, बचाव का अवसर दिया जाना चाहिए था-एसीआर, औसत से कम-समाप्ति-कलंकित या विकृत नहीं है और न ही ऐसे आक्षेप लगाए गए हैं जो भविष्य में नियुक्ति विवरण पत्रिका को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगे-परिवीक्षा के दौरान कोई जांच की आवश्यकता नहीं है जब तक कि कदाचार-लिखित याचिका और अपील खारिज नहीं की जाती है।

अभिनिर्धारित किया गया कि लेटर्स पेटेंट अधिनियम के खंड एक्स के तहत इस अंतर-अदालत अपील में, अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 14.01.2020 के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि परिवीक्षा की अवधि के दौरान अपीलकर्ता की सेवाओं को प्रदान करने का आदेश नियमों के अनुसार एक सरल आदेश नहीं था, बल्कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी क्लास, हिसार द्वारा रिपोर्ट किए गए कदाचार के आधार पर आधारित था और इसलिए, उक्त आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए क्योंकि अपीलकर्ता को अपना बचाव करने का अवसर दिया जाना चाहिए था।

(पैरा 1)

आगे कहा कि अपीलकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए "औसत से कम" पाई गई है।तत्काल अधिकारी, जिसके साथ अपीलकर्ता संलग्न था, ने अपीलकर्ता के कार्य और आचरण को संतोषजनक नहीं पाया है और इसलिए नियुक्ति प्राधिकारी का नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार अपीलकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय, जो वैधानिक के अनुरूप है।नियमों को अवैध या कानून के अनुसार नहीं कहा जा सकता है।

(पैरा 12)

आगे कहा कि अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं आया है जो यह दर्शाता हो कि आदेश ऊपर बताए गए उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्य या विचार के लिए पारित किया गया है।ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह संकेत देता हो कि समाप्ति कलंकित, विकृत या किसी भी तरह से, ऐसे आक्षेप लगाने वाली थी जो अपीलकर्ता की भविष्य की नियुक्ति विवरणिका को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा |

(पैरा 13)

आगे अभिनिर्धारित किया कि यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि परिवीक्षा की अवधि के दौरान तब तक कोई जांच आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि कर्मचारी के साथ कोई कदाचार न हो।किसी भी मामले में, वर्तमान मामले में, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो उसी का संकेत दे क्योंकि अपीलकर्ता के वकील द्वारा किसी पर भी तर्क नहीं दिया गया है।

(पैरा 14)

सत्यवीर सिंह यादव, अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता राजीव आनंद

ऑगुस्टिन जॉर्ज मसीह, जे.

(1) लेटर पेटेंट अधिनियम के खंड X के तहत इस इंट्रा-कोर्ट अपील में, अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज करने वाले दिनांक 14.01.2020 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि परिवीक्षा की अवधि के दौरान अपीलकर्ता की सेवाओं को देने का आदेश नियमों के अनुसार एक सरल आदेश नहीं था, बल्कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, हिसार द्वारा रिपोर्ट किए गए कदाचार की नींव पर आधारित था और इसलिए, उक्त आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए क्योंकि अपीलकर्ता को अपना बचाव करने का अवसर दिया जाना चाहिए था।

(2) संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता को 24.03.2015 पर हिसार के सत्र प्रभाग में चपरासी के रूप में नियुक्त किया गया था।नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार, वह दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर था जिसे एक साल और बढ़ाया जा सकता था।परिवीक्षा की अवधि के दौरान, दो साल पूरे होने से बहुत पहले, याचिकाकर्ता के काम के संबंध में सिविल जज (जूनियर डिवीजन), हिसार द्वारा असंतोषजनक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।वर्ष 2015-16 के लिए उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट "औसत से कम" के रूप में दर्ज की गई थी। उनकी सेवाएं 24.05.2016 परिवीक्षा अवधि के दौरान समाप्त कर दी गई |

नियुक्ति पत्र के खंड 8 के अनुसार, उन्हें दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा गया था और उक्त नियुक्ति पत्र की शर्त संख्या 2 के अनुसार, काम और आचरण असंतोषजनक पाए जाने पर कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त किया जा सकता था।समाप्ति आदेश की भाषा प्रकृति में सरल थी और ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह इंगित करे कि यह कलंकित या आक्षेप लगाने वाला था जो अपीलकर्ता के भविष्य के विवरण पत्रिका को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। चूँकि अपीलकर्ता की सेवाओं की समाप्ति परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति की शर्तों के अनुसार थी, इसलिए इससे अधिक कुछ भी उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी।

(3) यह इस समापन आदेश के खिलाफ है कि सत्र प्रभाग के प्रशासनिक न्यायाधीश के समक्ष एक अपील दायर की गई थी, जिसका निर्णय 04.05.2018 (अनुलग्नक पी-5) पर उसी को खारिज करते हुए किया गया था क्योंकि यह निष्कर्ष निकाला गया था कि आदेश दंडात्मक नहीं था, बल्कि केवल उस पद के लिए उनकी उपयुक्तता के मूल्यांकन पर आधारित था, जिस पर उन्हें नियुक्त किया गया था और उस पर जारी रखा गया था। यह पाया गया कि परिवीक्षा अवधि के दौरान अपीलकर्ता के कार्य और आचरण का समग्र मूल्यांकन संतोषजनक नहीं था।तदनुसार, उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया।

(4) यह समाप्ति के आदेश हैं और अपील की अस्वीकृति भी है, जिसे अपीलकर्ता द्वारा एक रिट याचिका के माध्यम से विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे रिट याचिका भी खारिज कर दी गई है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलकर्ता को असंतोषजनक कार्य और आचरण के आधार पर और नियुक्ति की शर्तों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि के भीतर समाप्त करने का आदेश या तो दंडात्मक या कलंकित नहीं माना जा सकता है और अपीलकर्ता के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं था जो समाप्ति का आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ने से पहले उस पर किसी भी जांच या कारण बताने का नोटिस जारी करने का आह्वान करता हो।

(5) अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि अपीलकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने की उत्पत्ति इस तथ्य से होती है कि अपीलकर्ता की सेवाओं के साथ वितरण केवल अपीलकर्ता के काम और आचरण पर आधारित नहीं है, बल्कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन), हिसार की राय से और उसके आधार पर प्रभावित है।जिला न्यायाधीश द्वारा स्वतंत्र दिमाग को लागू नहीं किया गया है और इसलिए, विवादित आदेश कायम नहीं रह सकता है।

(6) इसके अलावा अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह दावा किया गया कि अपीलकर्ता की सेवाओं के कारण, अपीलकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है और इसलिए, आक्षेपित आदेश को कलंकित होने के कारण कायम नहीं रखा जा सकता है और न्यायालय को पर्दा हटाना चाहिए और इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाना चाहिए।इस प्रकार, जिला न्यायाधीश के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकरण और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित बर्खास्तगी के विवादित आदेशों को रद्द करने के लिए प्रार्थना की गई है।

(ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.)

(7) हमने पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है, लेकिन अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता की दलीलों को मानने और करने के लिए खुद को राजी नहीं पाते हैं।

(8) समाप्ति आदेश दिनांक 24.05.2016 (अनुलग्नक पी-3) इस प्रकार हैः-

" आदेश

हिसार की सिविल जज (जूनियर डिवीजन) श्रीमति वंदना के न्यायालय के चपरासी श्री सुमित कुमार की सेवाओं को परिवीक्षा की अवधि के दौरान तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाता है।

सभी संबंधितों को तदनुसार सूचित किया जाए।"

(9) अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं आया है जो यह इंगित करे कि समाप्ति का आदेश, जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, अपीलकर्ता की परिवीक्षा की अवधि के दौरान उसकी सेवाओं को देने का आदेश नहीं है।यह प्रकृति में बिल्कुल भी कलंकित नहीं है और न ही यह ऐसे किसी पहलू को दर्शाता है।इसके अलावा, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अपीलकर्ता दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर था जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता था।चूंकि उन्हें हिसार के सत्र प्रभाग में एक चपरासी के रूप में 19.03.2015 पर नियुक्त किया गया था, इसलिए परिवीक्षा की अवधि के दौरान दिनांकित 24.05.2016 समाप्ति का आदेश पारित किया गया है।

(10) नियुक्ति के नियमों और शर्तों के बारे में अपीलकर्ता को पता था जैसा कि अपीलकर्ता को दिनांकित नियुक्ति पत्र 19.03.2015 (अनुलग्नक पी-1) द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया था, जो इसके अनुसरण में, 24.03.2015 पर सेवाओं में शामिल हुआ था।वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नियम और शर्तें (1), (2) और (8) होंगी, जो निम्नानुसार हैंः-

"1. यह नियुक्ति विशुद्ध रूप से अस्थायी आधार पर है और आपकी सेवाओं को बिना किसी पूर्व सूचना के बिना किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

2. आपकी नियुक्ति और सेवा की अन्य शर्तों को हरियाणा अधीनस्थ न्यायालय की स्थापना (भर्ती और सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1997 और हरियाणा सिविल सेवा नियम और विनियम, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है, उसके द्वारा विनियमित किया जायगा |

XXX XXX XXX XXX

8. कि आपकी नियुक्ति दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी, जिसे बढ़ाया जा सकता है।"

उपरोक्त के अवलोकन से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि अपीलकर्ता की नियुक्ति विशुद्ध रूप से अस्थायी आधार पर थी और उसकी सेवाओं को बिना किसी कारण बताए, बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था।उनकी परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की थी जिसे बढ़ाया जा सकता था और नियुक्ति और सेवा की अन्य शर्तों को हरियाणा अधीनस्थ न्यायालय प्रतिष्ठान (भर्ती और सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1997

(इसके बाद '1997 नियम' के रूप में संदर्भित), और हरियाणा सिविल सेवा नियम और विनियमों द्वारा विनियमित किया जाता था, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता था।

(11) 1997 के नियमों का नियम 8 सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के परिवीक्षा से संबंधित है जो इस प्रकार हैः-

“सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की परिवीक्षा

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा भर्ती किए जाने के दो साल और पदोन्नति के मामले में एक साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, बशर्ते किः-

(क) संबंधित या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर खर्च की गई अवधि परिवीक्षा की अवधि के लिए मानी जाएगी।

(ख) नियुक्ति के मामले में सेवा में नियुक्ति के लिए समकक्ष या उच्च पद की अवधि पर काम की किसी भी अवधि को स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति प्राधिकरण के विवेक से परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनने की अनुमति दी जा सकती है।

(ग) सेवा में कार्यवाहक नियुक्ति की किसी भी अवधि को परिवीक्षा पर खर्च की गई अवधि के रूप में माना जाएगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान सेवा के किसी सदस्य का कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं है तो वह -

यदि ऐसे व्यक्ति को सीधी नियुक्ति द्वारा भर्ती किया जाता है, तो उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाता है, या उसे उस पद पर वापस कर दिया जाता है जिस पर वह नियुक्ति से पहले ग्रहणाधिकारी है।”

उपरोक्त के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं होगा कि अपीलकर्ता अपनी सेवा की अवधि के दौरान परिवीक्षा पर था और उक्त अवधि के दौरान उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता था।

(12) अपीलकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए "औसत से कम" पाई गई है।तत्काल अधिकारी, जिसके साथ अपीलकर्ता संलग्न था, ने अपीलकर्ता के कार्य और आचरण को संतोषजनक नहीं पाया है और इसलिए नियुक्ति प्राधिकरण का नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार अपीलकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय, जो वैधानिक नियमों के अनुरूप है, को अवैध या कानून के अनुसार नहीं कहा जा सकता है।

(13) इसके अलावा, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं आया है जो यह दर्शाता हो कि आदेश ऊपर बताए गए उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्य या विचार के लिए पारित किया गया है।ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह संकेत देता

हो कि समाप्ति कलंकित, विकृत या किसी भी तरह से, ऐसे आक्षेप लगाने वाली थी जो अपीलकर्ता की भविष्य की नियुक्ति विवरणिका को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी।

(14) यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि परिवीक्षा की अवधि के दौरान, किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं है जब तक कि कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार न हो।किसी भी मामले में, वर्तमान मामले में, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो उसी का संकेत दे क्योंकि अपीलकर्ता के वकील द्वारा किसी पर भी तर्क नहीं दिया गया है।

(15) उपरोक्त के आलोक में, वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं पाए जाने पर, वही खारिज हो जाता है।

शुभरीत कौर

रजनीश सिंगला

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।